भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
भारी पानी बोर्ड

वि.सा. भवन, चौथी मंजिल,
अणुशक्तिनगर,
मुम्बई – 400 094

सं : भापाबो/हिंदी/27/अनुपालन/ 766 – 800 14 अगस्त, 2023

भापाबो में संघ की राजभाषा नीति के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निदेश / जाँच बिंदु

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार भारी पानी बोर्ड में संघ की राजभाषा नीति को लागू करने की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है । अत: भापाबो एवं भापासं (कोटा/बड़ौदा/मणुगुरु/तालचेर/तूतीकोरिन/टीडीपी) में सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित निदेश/जाँच बिंदु जारी किए जाते हैं :

1)	भापाबो एवं भापासं (कोटा/बड़ौदा/मणुगुरु/तालचेर/तूतीकोरिन/टीडीपी) द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक, आंतरिक लेखा परीक्षा, तकनीकी या अन्य निरीक्षणों की रिपोर्ट हिंदी में तैयार की जाए और निरीक्षण रिपोर्ट में राजभाषा संबंधी अनुदेश भी दिए जाएं । **कार्रवाई : सभी संबंधित अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**
2)	फाइलों पर अधिकतर टिप्पणियाँ हिंदी मे लिखें और यह सुनिश्चित करें कि यह संख्या वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों ('क' क्षेत्र - 75%, 'ख' क्षेत्र - 50%, 'ग' क्षेत्र - 30%) से कम न हो । अनुभाग प्रमुख के रुप में अधिकांश टिप्पणियाँ मौलिक रुप से हिंदी में लिखें और अपने अनुभाग के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें । **कार्रवाई : सभी अनुभाग प्रमुख/सभी राभाकास सदस्य, भापाबो एवं भापासं**
3)	अनुभागों द्वारा भेजे जाने वाले अधिक से अधिक पत्र (ई-मेल सहित) हिंदी में लिखें और यह सुनिश्चित करें कि यह संख्या वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों ('क' क्षेत्र स्थित संयंत्र के लिए - 100%, 100% एवं 65%, 'ख' क्षेत्र स्थित संयंत्र के लिए - 90%, 90% एवं 55% तथा 'ग' क्षेत्र स्थित संयंत्र के लिए - 55%, 55% एवं 55%) से कम न हो । अनुभाग प्रमुख के रुप में अधिक से अधिक पत्र (ई-मेल सहित) हिंदी में लिखें और अपने अनुभाग के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें । **कार्रवाई : सभी अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**
4)	पावती (acknowledgement), अग्रेषण पत्र (forwarding letter), आवरण पत्र (covering letter) हिंदी अथवा द्विभाषी रुप में जारी किए जाएं । **कार्रवाई : सभी अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**

... 2/-

5)	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित दस्तावेजों को अनिवार्यत: द्विभाषी रुप में जारी किया जाए। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अनुसार ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साथ-साथ तैयार कर जारी किए जाएं। कृपया नोट करें कि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। **कार्रवाई : सभी अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**
6)	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में दिया जाए। **कार्रवाई : सभी अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**
7)	'क' और 'ख' क्षेत्र स्थित सभी कार्यालयों द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र स्थित केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/संस्थानों से प्राप्त अंग्रेजी के पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाए। **कार्रवाई : सभी अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**
8)	पुस्तकालय के लिए निर्धारित कुल बजट (जर्नल व मानक संदर्भ ग्रंथों को छोड़कर) का 50 प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाए। **कार्रवाई : प्रभारी, पुस्तकालय/पुस्तकालय समिति, भापाबो एवं भापासं**
9)	(i) कार्यालय में प्रयोग में आने वाले सभी फार्म/मानक मसौदे द्विभाषी हों। (ii) कार्यालय द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कोड/मैनुअल/नियमावली आदि द्विभाषी हों। **कार्रवाई : सभी अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**
10)	सेवा अभिलेखों / सेवा पुस्तिकाओं में हिंदी में प्रविष्टियाँ की जाएं। **कार्रवाई : स्थापना अनुभाग, भापाबो एवं भापासं**
11)	सभी अनुभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी लिपिकों / आशुलिपिकों को हिंदी टंकण / हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित करवाएं और उनसे अधिकतर कार्य हिंदी में करवाएं। **कार्रवाई : सभी अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**
12)	कार्यशाला में प्रशिक्षित कर्मचारी अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करें। **कार्रवाई : सभी अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**
13)	'क' और 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफे पर पते हिंदी में लिखे जाएं। **कार्रवाई : सामान्य अनुभाग/सभी अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**

14)	भापाबो एवं भापासं के सभी राभाकास सदस्यों द्वारा अपना अधिकांश काम (हस्ताक्षर, पत्राचार, नोटिंग आदि) मौलिक रुप से हिंदी में किया जाए तथा उसका विधिवत रिकार्ड रखा जाए । **कार्रवाई : सभी अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**
15)	भापाबो एवं भापासं में ई-ऑफिस के माध्यम से हिंदी में छोटी छोटी नोटिंग लिखी जाए । **कार्रवाई : सभी राभाकास सदस्य/सभी अनुभाग प्रमुख, भापाबो एवं भापासं**
16)	सभी प्रकार की विभागीय बैठकों / सम्मेलनों / संगोष्ठियों आदि की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त द्विभाषी जारी किए जाएं । **कार्रवाई : सभी संबंधित संयोजक / प्रभारी, भापाबो एवं भापासं**

भापाबो एवं संयंत्रों के सभी संबंधित अधिकारीगण उपर्युक्त निदेशों/जाँच बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

सत्यकुमार

(एस. सत्यकुमार)
मुख्य कार्यकारी

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, भापासं (कोटा/बड़ौदा/मणुगुरू/तालचेर/तूतीकोरीन)

भापाबो / संयंत्रों के सभी प्रशासनिक प्रमुख

सहायक निदेशक (राजभाषा), भापासं (कोटा/बड़ौदा/मणुगुरू)

प्रभारी अधिकारी (हिन्दी), भापासं (तालचेर /तूतीकोरीन)

भापाबो के सभी अधिकारी / कर्मचारीगण